न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर

प्रकरण संख्या : अपील/टिए/480/2003/नागौर

1– परमवीर सिंह पुत्र स्व0 बिशन सिंह
2– कुलदीप सिंह पुत्र स्व0 बिशन सिंह
3– श्रीमती कैलाश कुमारी पत्नी स्व0 श्री बिशन सिंह
समस्त जाति राजपूत, निवासी गोराऊ, तहसील जायल, जिला नागौर।

.....अपीलार्थीगण

बनाम

1– हनुमान सिंह
2– बिशन सिंह
3– बन सिंह
4– जगदीश सिंह
पुत्रान देवा, जाति दरोगा, निवासी गोराऊ, तहसील जायल, जिला नागौर।

5. खींया पुत्र चन्द्रा, जाति दरोगा, निवासी गोराऊ, तहसील जायल, जिला नागौर।

.....रैस्पो0

खण्ड – पीठ
श्री वी0 श्रीनिवास, अध्यक्ष
श्री महावीर सिंह, सदस्य

उपस्थितः–

श्री योगेन्द्र सिंह, अधिवक्ता अपीलार्थी
श्री जी0एस0 लखावत, अधिवक्ता रैस्पो0 1 से 4
श्री लोकेन्द्र सिंह राणावत, अधिवक्ता रैस्पो0 5

निर्णय

दिनांकः 01–11–2018

हस्तगत अपील अंतर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 (संक्षेप में अधिनियम, 1955) के अंतर्गत राजस्व अपील प्राधिकारी, नागौर द्वारा प्रकरण संख्या 18/1996 शीर्षक बिशन सिंह बनाम हनुमान सिंह में पारित निर्णय दिनांक 31–12–2002 के विरूद्ध मण्डल के समक्ष प्रस्तुत की गई है।

2– प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि परीक्षण न्यायालय सहायक कलक्टर, नागौर के द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 19–8–1976 के विरुद्ध अधिनियम, 1955 की धारा 223 के अन्तर्गत राजस्व अपील अधिकारी, जोधपुर के न्यायालय में अपील संख्या 207/77 बिशन सिंह बनाम हनुमान सिंह प्रस्तुत की गई जिसे दिनांक 23–4–1979 को अदम हाजिरी अदम तकमील में खारिज किया गया। उक्त अपील को रैस्टोर कराए जाने हेतु प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 41 नियम 19, सिविल प्रक्रिया संहिता सहपठित धारा 65, राजस्थान भू

राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय ने आक्षेपित निर्णय दिनांक 31–12–2002 से इस प्रार्थना पत्र को खारिज किया है, जिसके विरुद्ध हस्तगत अपील अन्तर्गत धारा 225 मण्डल के समक्ष प्रस्तुत की गई है।

3– उभय पक्ष के योग्य अधिवक्तागण की बहस अपील पर सुनी गई।

4– योग्य अधिवक्ता अपीलार्थी ने बहस में निवेदन किया कि अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय ने बाजदायरी प्रार्थना पत्र को काफी देरीना प्रस्तुत किया जाना मानते हुये, खारिज किया है। अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय ने प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत किए गए परिसीमा अधिनियम की धारा 5 के प्रार्थना पत्र में अंकित कारणों का अध्ययन नहीं किया है। योग्य अधिवक्ता ने कथन किया कि धारा 5 के प्रार्थना पत्र में बाजदायरी प्रार्थना पत्र देरी से प्रस्तुत किए जाने कारणों को विस्तार से अंकित किया गया है। कारणों से स्पष्ट है कि अपीलार्थी बिशन सिंह को अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय ने उपस्थित होने की कोई तारीख नहीं दी थी और उसके बाद बिशन सिंह जी का स्वर्गवास हो गया तथा उसके वारिसान/अपीलार्थीगण को अपील पेश करने के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय ने अपने निर्णय में गुणावगुण को भी देखा है, अतः जब गुणावगुण को देखा गया है तो पहले बाजदायरी प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया जाना चाहिए था। इस प्रकार बाजदायरी प्रार्थना पत्र को खारिज कर देने से अपीलार्थीगण को प्रकरण में गुणावगुण आधारित न्याय प्राप्त नहीं हो पाया है। अपीलार्थी ने जानबूझ कर प्रार्थना पत्र रैस्टोरेशन प्रस्तुत करने में कोई देरी नहीं की है। अन्त में योग्य अधिवक्ता ने निवेदन किया कि अपील को स्वीकार किया जाये और अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 31–12–2002 को निरस्त किया जाये तथा अपीलार्थीगण द्वारा अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय में प्रस्तुत किए गए प्रार्थना पत्र को स्वीकार कर मूल अपील को पुनः नम्बर पर ले कर गुणावगुण पर तय करने हेतु अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय को निर्देश प्रदान किए जावें।

5– प्रत्यर्थीगण के योग्य अधिवक्तागण ने बहस में निवेदन किया कि आदेश 41 नियम 19, सिविल प्रक्रिया संहिता के प्रावधानों के अनुसार अपीलार्थी को यह साबित करना होता है कि देरी के कारण संतोषजनक रहे हों। दिनांक 23–4–1979 को अपील अदम हाजिरी में खारिज होने के उपरान्त दिनांक 23–7–1996 को करीब 17 साल की लम्बी अवधि के बाद उनके द्वारा बाजदायरी प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है। आदेश दिनांक 23–4–1979 में न्यायालय ने यह भी माना है कि शेष रैस्पो0 हेतु पूर्व में कई बार सूचित किए जाने के उपरान्त भी

सम्मन पेश नहीं किए गए हैं। प्रार्थना पत्र में देरी के कारण जो अंकित किए हैं वे संतोषजनक व स्वीकार योग्य नहीं हैं। अतः अपीलार्थीगण द्वारा जानबूझ कर प्रार्थना पत्र पेश करने में देरी करने के तथ्य को देखते हुये, अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय द्वारा अपीलार्थीगण के प्रार्थना पत्र को खारिज करने में किसी प्रकार की अनियमितता नहीं की है। अपील सारहीन होने से खारिज की जाए।

6– हमने उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया। पत्रावली में प्रस्तुत रिकार्ड एवं अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय का अवलोकन एवं अध्ययन किया।

7– पत्रावली के अवलोकन से सुस्पष्ट है कि परीक्षण न्यायालय सहायक कलक्टर, नागौर के समक्ष प्रस्तुत किए गए वादपत्र अनुवानी बिशन सिंह बनाम हनुमान सिंह वगैरा संख्या 298/1968 अन्तर्गत धारा 88, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 को परीक्षण न्यायालय द्वारा निर्णय व डिक्री दिनांक 19–8–1976 से खारिज किया गया था और इस निर्णय व डिक्री के विरुद्ध वादी/अपीलार्थी बिशन सिंह द्वारा दिनांक 4–2–1977 को, अधिनियम, 1955 की धारा 223 के अन्तर्गत राजस्व अपील अधिकारी, जोधपुर के न्यायालय में अपील संख्या 207/77 बिशन सिंह बनाम हनुमान सिंह प्रस्तुत की गई जिसमें अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय ने दिनाक 23–4–1979 को माना है कि "शेष रैस्पो0 हेतु पूर्व में कई बार सूचित किए जाने के उपरान्त भी सम्मन पेश नहीं किए गए हैं।" अभिभाषक अपीलार्थी व अपीलार्थी सूचना उपरान्त उपस्थित नहीं होने से अपील को अदम हाजिरी एवं अदम तकमील में खारिज किया गया है। इस आदेशिका के अवलोकन से स्पष्ट है कि दिनांक 23–4–1979 से पूर्व की पेशी दिनांक 18–12–1978 तक अभिभाषक अपीलार्थी निरंतर उपस्थित रहे हैं। उक्त आदेश दिनांक 23–4–1979 को निरस्त कर अपील को रैस्टोर कराए जाने हेतु प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 41 नियम 19, सिविल प्रक्रिया संहिता सहपठित धारा 65, राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय के समक्ष दिनांक 23–7–1996 को काफी विलम्ब से प्रस्तुत किया गया है और विलम्ब को क्षमा करने के लिए जो आवेदन धारा 5 परिसीमा अधिनियम के अन्तर्गत प्रस्तुत किया है उसमें देरी के कारण बताये हैं कि "अपील संख्या 207/77 के नोटिस कभी अपीलण्ट के पास नहीं आया और वकील श्री सम्पतमल के पास आया। अपील अदम हाजिरी अदम तकमील में खारिज होने का ज्ञान दिनांक 22–7–1996 को वकील का फोन आने पर हुआ है।" अपील को रैस्टोर कराए जाने हेतु असाधारण रुप से देरी करते हुये आवेदन किया गया है और अपीलार्थी का यह कथन स्वीकार योग्य नहीं रहता है कि उनके पिता द्वारा प्रस्तुत किए गए वादपत्र व उसके निर्णय उपरान्त की गई अपील के बारे में उन्हें किसी प्रकार का ज्ञान नहीं रहा

हो? आदेश 41 नियम 19, सी0पी0सी0 के प्रावधानों के अनुसार व्यतिक्रम (Dismiss for Default) के लिए खारिज की गई अपील को पुनः ग्रहण करने के लिए यह साबित करना होता है कि अनुपस्थिति के कारण पर्याप्त रहे हैं किन्तु अपीलार्थी द्वारा देरी के जो कारण, प्रार्थना पत्र में अंकित किए हैं उनके सम्बन्ध में किसी प्रकार की साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की है। परिसीमा अधिनियम की धारा 5 में भी स्पष्ट किया गया है कि आवेदक को न्यायालय को संतुष्ट करना होगी कि देरी के कारण पर्याप्त (Sufficient) रहे हैं। न्याय दृष्टान्त स्टेट आफ राजस्थान बनाम मंगल सिंह व अन्य जो 2001 (2) आर0आर0टी0 1105 (एच0सी0) पर उद्धरित किया है उसमें भी इसी मत की पुष्टि की गई है। न्याय दृष्टान्त 200(1) आर0एल0डब्ल्यू0 (राज0) पेज 257 भी इसी मत को समर्थन प्रदान करते हैं। अतः इस प्रकार की स्थिति में हमार स्पष्ट मत है कि प्रार्थी/अपीलार्थी द्वारा देरी के असंतोषप्रद कारण अंकित करते हुये अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय के समक्ष जो प्रार्थना पत्र आदेश 41 नियम 19, सी0पी0सी0 प्रस्तुत किया गया है, उसे आक्षेपित अपीलाधीन निर्णय के द्वारा खारिज करने में अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय ने किसी प्रकार की विधिक भूल नहीं की है। फलतः उपरोक्त विवेचन के परिप्रेक्ष्य में अपील सारहीन पाये जाने से **खारिज** की जाती है।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(महावीर सिंह)
सदस्य

(वी0 श्रीनिवास)
अध्यक्ष